फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय

सुरेश अजमेरा बनाम ओमप्रकाश

संख्याः– 15/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभय पक्षकारान की ओर से आपत्ति कुर्रेजात उभय पक्षकारान की ओर से पेश नहीं की है। पत्रावली वास्ते बहस कुर्रेजात हेतु दिनांक 9/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
9/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष को कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दि. 16/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	वर्तमान कुर्रेजात में प्रतिवादिगण को कोई आपत्ति नहीं 9/10/24
16/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। उभयपक्ष व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि किया गया अवलोकन व रिपोर्ट वाले ने ग्राम भूमि सेवानिवृत्त की रिपोर्ट में प्रस्तावित कुर्रेजात में प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतीत होती है रिहायशी आबादी को जमीन नहीं किया प्रस्तावित कुर्रेजात प्रस्ताव बंटवारा नहीं किया जा सकता है। कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद बाबी खारिज किया जाता है। पत्रावली अभिलेख अनुसार धारा 88 न्यायालय ही चली किसी प्रकार से जारी है। पत्रावली बाद तामील धारित करते हैं। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 12:22:10 IST
Reason: SelfAttested